



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 138 राँची, बुधवार,

25 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

02 मार्च, 2026

आदेश सं०-5/आरोप-01-62/2022 का०-1307-- राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक-1592, दिनांक 03.06.2022 द्वारा श्रीमती स्मिता टोप्पो, झा०प्र०से०(को०क्र०-868/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गोड्डा-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 की मतगणना प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरतने संबंधी आरोपों हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-134 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

2. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-8122, दिनांक 19.12.2022 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से श्रीमती टोप्पो के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, गोड्डा से वांछित आरोप पत्र अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-4227, दिनांक 25.07.2023 एवं पत्रांक-5277, दिनांक 13.08.2024 द्वारा स्मारित भी किया गया, परन्तु आरोप पत्र अप्राप्त रहा।

3. इसी क्रम में श्रीमती टोप्पो द्वारा आवेदन, दिनांक-07.09.2024 समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का अभिलेख संधारित की गई है। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। किसी के साथ पक्षपात एवं नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, नियमानुसार तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिणाम की घोषण की गई। परिणीता झा द्वारा दायर अपील वाद सं०-48/22 को आयुक्त,

संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए वाद खारिज व निष्पादित किया गया है। पूरी प्रक्रिया में ये निर्दोष हैं, अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-134 के अधीन लगे आरोप से मुक्त की जाय।

4. विभागीय पत्रांक- 8003, दिनांक- 10.12.2024 के द्वारा श्रीमती टोप्पो से प्राप्त आवेदन की छायाप्रति को उपायुक्त, गोड्डा को भेजते हुए सुस्पष्ट मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. उक्त के क्रम में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-221/गो०, दिनांक-26.04.2025 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उक्त मंतव्य में उपायुक्त द्वारा श्रीमती टोप्पो के आवेदन में अंकित तथ्यों को उल्लेखित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष नियमानुसार तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परिणाम की घोषणा की गई है। परिणीता झा द्वारा दायर अपील वाद सं०-48/22 को आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए वाद खारिज व निष्पादित किया गया है। साथ ही उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा श्रीमती टोप्पो के विरुद्ध लगे आरोप से दोषमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

6. अतः समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-221/गो०, दिनांक-26.04.2025 में अंकित मंतव्य के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग पत्रांक-1592, दिनांक 03.06.2022 द्वारा श्रीमती स्मिता टोप्पो, झा०प्र०से०(को०क्र०-868/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गोड्डा-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोरईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
